रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 174] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 27, 1974/श्रावण 5, 1896

No. 174] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 27, 1974/SRAVANA 5, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 27th July 1974

SUBJECT.—*Import Policy for iron and steel items for the year April* 1974—*March* 1975.

No. 106-ITC(PN)/74.—Attention is invited to the provisions contained in paras 7-8 of Appendix 41 of the Import Trade Control Policy (Red Book, Vol. I) for 1974-75, in terms of which the existing large scale units in the priority sector (including IDA industries) were to make their applications for import of canalised as well as non-canalised items of iron and steel to the licensing authority concerned, covering their half yearly requirements on or before the 30th June, 1974.

2. On a review of the position, it has been decided to extend the last date for submission of applications for import of iron and steel items for the half yearly period April—September, 1974 to 31st August, 1974.

B. D. KUMAR,
Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 1974

विषय.—अप्रैल, 1974–मार्च, 1975 के लिए लोहा तथा इस्पात मदों के लिए आयात नीति।

सं० 106–आई० टी० सी० (पी०एम०)/74.—1974–75 के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेड बुक वा० 1) के परिशिष्ट 41 की कंडिका 7–8 में दी गई व्यवस्थाओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसकी शर्तों के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र वर्तमान वृहत पैमाने के एककों (जिस में आई० डी० ए० उद्योग भी शामिल हैं) को अपनी अर्ध वार्षिक जरूरतों को शामिल करते हुए लोहा तथा इस्पात की सरणीबद्ध और गैर-सरणीबद्ध मदों के आयात के लिए अपने-अपने आवेदन सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को 30 जून, 1974 को या उसके पहले देने थे।

2. स्थिति की पुनरीक्षा करने पर अर्ध वार्षिक अवधि अप्रैल—सितम्बर, 1974 के लिए लोहा तथा इस्पात मदों के आयात के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तारीख को 31 अगस्त 1974 तक बढ़ा देने का निश्चय किया गया है।

बी० डी० कुमार,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974